

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2018—चैत्र 23, शक 1940

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 28 मार्च 2018

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा-5(1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद रौन का गठन करती है.

सारणी में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/ सुझाव कलेक्टर, जिला भिण्ड को प्रस्तावित कर सकता है जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

सारणी

| क्र. (1) | जिला (2) | तहसील (3) | ग्राम पंचायत का नाम (4) | सम्मिलित क्षेत्र/ग्रामों का विवरण (5) |
|----------|----------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | भिण्ड | रौन | (1) ग्राम पंचायत, गौरई | (1) गौरई (2) जसवंतपुरा |
| 2 | भिण्ड | रौन | (1) ग्राम पंचायत, महदवा | (1) महदवा |
| 3 | भिण्ड | रौन | (1) ग्राम पंचायत, बिरखड़ी | (1) बिरखड़ी |
| 4 | भिण्ड | रौन | (1) ग्राम पंचायत चंदावली नं. 01 | (1) चंदावली नं. 01 |
| 5 | भिण्ड | रौन | (1) ग्राम पंचायत, ररूआ नं. 01 | (1) ररूआ नं. 01 (2) रघु का पुरा |
| 6 | भिण्ड | रौन | (1) ग्राम पंचायत, रौन | (1) रौन |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया राजा टी., कलेक्टर.